राजस्व आवेदन संख्या 260 / 2025
संतोषदेवी बनाम ओमप्रकाश वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 260/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/390

प्रार्थीगण

1.सन्तोषदेवी पत्नी किशनलाल
जाति घांची
2.कान्तादेवी पत्नी अशोक कुमार
जाति ओसवाल
निवासी-बालोतरा,तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीलाल
2.अशोक पुत्र शंकरलाल
3.घेवरचंद पुत्र गिरधारी
4.टीपु देवी पत्नि शंकरलाल
5.पुष्पादेवी पुत्री शंकरलाल
6.बाबूलाल पुत्र गिरधारीलाल
7.मोहनलाल पुत्र गिरधारीलाल
8.लीला देवी पुत्री शंकरलाल
9.संगीतादेवी पुत्री शंकरलाल
जाति घांची निवासी होली चौक, जसोल
तहसील पचपदरा
10.ओमप्रकाश सालेचा पुत्र मोतीलाल
जाति ओसवाल,निवासी भैरू
बाजार बालोतरा तहसील पचपदरा
11.श्रीकान्त पुत्र ओमप्रकाश
जाति अग्रवाल,निवासी रामलीला
मैदान बालोतरा तहसील पचपदरा
12.श्रीकान्त राधिका सिंहल एच.यु एफ.
कर्ता श्री कान्त पुत्र ओमप्रकाश
जाति अग्रवाल,निवासी रामलीला मैदान
बालोतरा तहसील पचपदरा
13.शान्तिलाल भंसाली पुत्र सोहनराज
भंसाली जाति ओसवाल,निवासी पनगट
रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा
14.फतेहसिंह पुत्र अमरसिंह
जाति राजपूत निवासी जसोल
15.मन्जुलादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद
जाति मेवाड़ा निवासी बालोतरा
16.सुनीतादेवी पत्नी श्यामलाल
जाति मेवाड़ा निवासी बालोतरा
17.हिमान्शु भंसाली पुत्र पुश्पाराज
जाति ओसवाल,निवासी पनगट रोड़
बालोतरा
18.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 29/4/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पुरानी माळे को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तोवजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.7.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 1.3274 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

(अशोककुमार) 29/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

29/04/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा